मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम (GMVN) लि0 देहरादून द्वारा बाल्दी नदी लॉट नं–15/3 एवं 15/4 में लघु लवणों के संग्रहण के लिये पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 30.08.2014 (प्रातः 11.00 बजे) स्थान बेसिक प्राईमरी पाठशाला खैरी मानसिंह ब्लॉक रायपुर, देहरादून का कार्यवृत्त।

मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून द्वारा बाल्दी नदी के लॉट नं–15/3 एवं 15/4 में लघु लवणों के संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिये जन सुनवाई का आयोजन किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, अधिसूचना–2006 के अतर्गत आच्छादित है। उक्त परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आख्या, पर्यावरणीय प्रभाव अधिसूचना–1994 यथासंशोधित के अनुसार तैयार की गयी है तथा लोक सुनवाई पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2009 के अनुसार की गयी है।

दिनांक 30.06.2014 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), देहरादून श्री प्रताप सिंह शाह, की अध्यक्षता में बेसिक प्राईमरी पाठशाला खेरी मानसिंह, रायपुर ब्लॉक में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। राज्य बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में श्री सुभाष पंवार (अ0 अभियन्ता) व श्री सुनील डबराल (अनु0 सहा0) उपस्थित थे।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से 11 बजे प्रातः लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

सर्वप्रथम उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि श्री सुभाष पंवार (अ0 अभियन्ता) द्वारा लोक सुनवाई के आयोजन के उद्देश्य के बारे में उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया और कहा गया कि उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून द्वारा बल्दी नदी में लघु लवणों के संग्रहण/एकत्रण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। भारत सरकार की अधिसूचना सितम्बर–2006 यथा संशोधित के अनुसार परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई का प्राविधान है। इस हेतु लोक सुनवाई की तिथि से नियमानुसार 30 दिन पूर्व दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान व हिन्दुस्तान टाईम्स के दिनांक 04.08.2014 के अंक में इस आशय की सूचना प्रकाशित की गयी थी। विज्ञप्ति के माध्यम से जन साधारण द्वारा इस परियोजना के कियान्वयन से पूर्व सुझाव आपत्ति, टीप टिप्पणी आपेक्ष मांगे गये थे। यदि स्थानीय लोगों की परियोजना के बारे में कोई आपत्ति या सुझाव हैं तो उनको इस लोक सुनवाई के माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा, उनके द्वारा जन समुदाय से अनुरोध किया गया कि विचार, सुझाव परियोजना के पक्ष में अथवा विपक्ष में इस मंच के माध्यम से आमंत्रित हैं, जिनकी अनवरत वीडियो रिकार्डिंग एवं फोटोग्राफी भी की जायेगी। मंच के माध्यम से आप सभी के महत्वपूर्ण विचार इस परियोजना के कियान्वयन हेतु एक निर्णायक भूमिका की अभिव्यक्ति होगी।

तदोपरान्त लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह शाह, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन समुदाय से कहा गया कि परियोजना के सम्बन्ध में जो भी आपत्ति एवं सुझाव हैं उन्हें मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करें, जिनको मिनिट्स में सम्मिलित कर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रेषित किया जायेगा।

इस अनुक्रम में मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम के परामर्शी संस्था के प्रतिनिधि श्री विवेक कुमार. द्वारा परियोजना से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी दी गयी एवं अवगत कराया गया कि परियोजना का कुल क्षेत्रफल 69.785 है0 है। जो कि ग्राम मरोठा मांडवली, पुस्टाडी,कुलहान, मानसिंघ खेर, मानसिंघ व रेनीवाला, तहसील देहरादून, जिला देहरादून में स्थित है। उक्त परियोजना पूर्णतः सरकारी भूमि पर प्रस्तावित है। जिसे राज्य सरकार द्वारा गढ़वाल मण्डल विकास निगम को लीज पर दिया गया है। परियोजना हेतु किसी प्रकार की निजी भूमि का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य वोल्डर, बालू व बजरी का चुगान/खनन किया जाना है जिनका उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यो में किया जायेगा। नदी में लघु लवणों के इकट्ठे होने की वजह से नदी अपना मार्ग बदल देती है, एवं चुगान न होने से बरसात में भूमि कटाव होता है, जिससे कि कृषि योग्य भूमि के साथ–साथ सड़कों/मार्गों को नुकसान पहुँचता है। खनन कार्य को वैज्ञानिक तरीके से किये जाने पर भूमि कटाव की रोकथाम के साथ–साथ स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध होंगे एवं खनिज के दामों में भी कमी आयेगी। परियोजना से लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं राज्य सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा। उन्होनें यह भी कहा कि इस परियोजना से रोजगार को बढ़ावा दिया जायेगा। इस परियोजना में नदी के तटों से 15 प्रतिशत भाग को छोड़कर लघु लवणों का संग्रहण किया जायेगा, उनके द्वारा अपनी प्रस्तुतीकरण में यह भी बताया गया कि 1.5 मीटर गहराई तक रेत, बजरी, बालू का संग्रहण किया जायेगा और संग्रहण कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच किया जायेगा तथा संग्रहण कार्य पूर्णतया मैनुअल किया जायेगा जिसमें कोई हैवी मशीनरी का उपयोग नहीं किया जायेगा। यह परियोजना पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके से की जायेगी। श्री विवेक कुमार द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में यह भी अवगत कराया गया कि खनन कार्य से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना (ईएमपी) बनायी गयी है, जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सड़कों पर जल छिड़काव एवं समय–समय पर वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण कर तदानुसार पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बनायी जायेगी। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुश्रवण हेतु पर्यावरणीय सुरक्षा दल का गठन किया जायेगा। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना हेतु अलग से रू0 6.41 लाख के वार्षिक बजट का प्राविधान किया गया है, जिसका उपयोग जल छिड़काव, सड़कों की मरम्मत एवं वृक्षारोपण आदि कार्यों में किया जायेगा।

प्रस्तुतीकरण के बाद परियोजना के सम्बन्ध में जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझावों एवं आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है–

1. **श्री अमर सिंह बिष्ट (पूर्व जिला पंचायत सदस्य) निवासी रेनीवाला** द्वारा लोकसुनवाई का स्वागत किया गया तथा खनन कार्य से सहमति व्यक्त की गयी। उनके द्वारा कहा गया कि नदी में खनन न होने से नदी का तल ऊँचा हो गया है। बरसात में नदी में बाढ़ आने से गांव द्वारा स्थापित हरे पेड़ों का एक हिस्सा, खेत, पेड़–पौधे नदी में बह गये हैं। उनके द्वारा कहा गया कि पूर्व में अवैज्ञानिक तरीके से खनन होता रहा है, जिससे नदी के किनारों पर मनमाने ढंग से अवैध खनन किया जाता रहा है। इसका असर हमारे वृक्षों, पोधों पर पडा है तथा यहां की हरियाली के साथ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया है। उनके द्वारा पूछा गया कि गढ़वाल मण्डल विकास निगम खनन कार्य किस संस्था/ठेकेदार से करायेगी एवं स्थानीय ग्रामीणों की क्या भागीदारी होगी? उनके सुझाव दिया गया कि हमारे क्षेत्रवासी खनन खुलवाने के इच्छुक हैं, परन्तु खनन वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए, स्थानीय जनता को रोजगार मिले और गांव द्वारा स्थापित वृक्षों एवं पेड़ पौधों को किसी भी प्रकार की क्षति न हो। अन्त में उनके द्वारा कहा गया कि यदि गढ़वाल मण्डल विकास निगम और ग्राम सभा दोनों की सहभागिता होगी तो पर्यावरण स्वच्छ और सुरक्षित रहेगा। साथ ही खनिज सामाग्री में स्थानीय ग्रामीणों को पूर्वानुसार छूट एवं रायल्टी का एक अंश मिलना चाहिए।

2. **श्री कमलेश्वर प्रसाद गौड (प्रधान) निवासी खेरी मानसिंह** द्वारा लोकसुनवाई का स्वागत किया गया और कहा गया कि नदियों में खनन खुलना चाहिए। खनन न होने से नदी का तल ऊँचा हो गया है। यदि खनन नहीं किय गया तो बाढ़ आने से नदी का बहाव गांव की ओर हो जायेगा। उनके द्वारा कहा गया कि गढ़वाल मण्डल द्वारा खनन से प्राप्त लाभांश का 10 प्रतिशत ग्रामसभा के फंड में जमा कराये ताकि ग्राम समिति प्राथमिकता के आधार पर गांव के विकास के लिये धनराशि व्यय कर सके। उनके द्वारा बताया गया कि उनका गांव पर्वतीय क्षेत्र में आच्छादित है तथा घरेलू मकानों के निर्माण हेतु खनन सामग्री के लिये घोड़े–खच्चरों का प्रयोग किया जाता है। इसलिये गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा खनन सामग्री निशुल्क दी जाए। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन कार्य पूर्णतयाः वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए एवं खनन कार्य में प्रयुक्त किये जाने वाले ट्रक/ट्राली हेतु वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जाए। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन का कार्य डाउनस्ट्रीम (Down Stream) से शुरू किया जाना चाहिए, जिससे कि भूमि कटाव एवं बाढ़ का खतरा न हो।

3. **श्री सुन्दर सिंह चौहान (पूर्व प्रधान) निवासी खेरी मानसिंह** द्वारा लोकसुनवाई का स्वागत किया गया और खनन कार्य से सहमति व्यक्त की गयी और कहा गया कि पूर्व में गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा किये गये खनन कार्य में अनियमित्ताएं सामने आयी थीं। उनके द्वारा कहा गया कि खनन कार्य सबसे पहले रेणीवाला से शुरू किया जाये, स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिया जाये तथा स्थानीय लोगों को रायल्टी में छूट दी जाये। इसके अतिरिक्त लाभांश का 10 प्रतिशत भाग ग्रामसभा के फंड में हस्तान्तरित किया जाये। उनके द्वारा कहा गया कि ट्रक/टैक्टर ट्रॉली की आवाजाही स्कूल एवं

आबादी क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए, इन वाहनों हेतु वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा खनन कार्य में लगे मजदूरों द्वारा पर्यावरण को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचाई जाए। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन कार्य पूर्णतयाः वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए।

4. **श्री वीर सिंह चौहान, निवासी खेरी मानसिंह** द्वारा लोकसुनवाई का स्वागत किया गया और कहा गया कि नदी खुलनी चाहिए। उनके द्वारा कहा गया कि सबसे पहले रेणीवाला गांव से खनन कार्य शुरू होना चाहिए क्योंकि वहां नदी के तल का स्तर सबसे अधिक ऊँचा हो गया है। उनके द्वारा खनन कार्य शुरू करने से पहले खनन सीमा के दोनों किनारों पर पिल्लर लगाकर सीमांकन किया जाये।

5. **श्री गोपालदत्त जुगरान निवासी खेरी मानसिंह** द्वारा कहा गया कि नदी की पूरी जांच एवं सीमांकन के बाद ही खनन हेतु नदी खुलनी चाहिए।

6. **श्री अजय चौहान (ग्राम प्रधान) निवासी खेरी मानसिंह** द्वारा कहा गया कि पूरे गांव की सहमति है कि खनन खुलना चाहिए। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन का कार्य स्वयं गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा किया जाना चाहिए, किसी अन्य संस्था/ठेकेदार को दिये जाने पर मनमानी एवं अवैध खनन को बढ़ावा मिलेगा। सरकारी संस्था द्वारा खनन वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा एवं स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा।

7. **श्रीमति सुशीला देवी, निवासी खेरी मानसिंह** द्वारा कहा गया हमारे क्षेत्र में अरंडी का बड़ा जंगल है, जिससे जंगली जानवरों का खतरा बना हुआ है, इस हेतु उपाय किये जाएं। उनके द्वारा खनन कार्य से सहमति व्यक्त की गयी और कहा गया कि अवैध खनन नहीं होना चाहिए। खनन कार्य में स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार मिलना चाहिए तथा खनन कार्य वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए, जिससे कि नदी के किनारे लगे पेड़ों का पातन न हो।

8. **श्री सुरेश चन्द्र (बी.डी.सी. सदस्य) निवासी खेरी मानसिंघ** द्वारा नदियों में खनन कार्य से सहमति व्यक्त की गयी कहा गया कि खनन कार्य आरम्भ करने से पहले नियमानुसार सीमांकन किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त कहा गया कि पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए नदियों का खुलना बहुत आवश्यक है।

अपर जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त खनन कार्य राज्य सरकार की भूमि से किया जायेगा एवं खनन का कार्य अग्रतर बोली के माध्यम से स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता दिये जाने का प्राविधान है। राज्य सरकार की खनन नीति के अनुसार खनन कार्य से प्राप्त लाभांश के 5 प्रतिशत भाग को खनिज विकास निधि के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों के विकास कार्यों में व्यय किया जायेगा। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा खनिज सामग्री में छूट दिये जाने की मांग के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी द्वारा अवगत

कराया गया कि स्थानीय निवासियों के भवन एवं सामाजिक कार्यों हेतु खनिज सामग्री में राज्य सरकार खनिज नीति में कोई प्राविधान नहीं है। ग्रामीण एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधि राज्य सरकार के स्तर पर खनिज सामाग्री स्वयं के उपयोग हेतु छूट के प्राविधान की मांग कर सकते हैं।

अन्त में उक्त आपत्तियों के अनुक्रम में जीएमवीएन के प्रतिनिधि द्वारा उपरोक्त सुझावों के अनुक्रम में अवगत कराया गया कि खनन कार्य राज्य सरकार की भूमि पर किया जाना है। किसी निजी भूमि पर खनन कार्य नहीं किया जायेगा। प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य सरकार की खनिज नीति के अनुसार स्थानीय निवासियों को खनिज पट्टे अन्तरित किये जाने की प्राथमिकता का प्राविधान है। खनन कार्य के दौरान माल वाहक वाहनों के परिवहन हेतु वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जायेगी एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुसार कार्य किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय ग्रामीणों के विकास हेतु कारपोरेट सोश्यिल रिस्पोंस्बिलिटी (CSR) के अन्तर्गत खनन कार्य से प्राप्त लाभांश का कुछ भाग विभिन्न सामाजिक विकास कार्य में व्यय किये जाने का भी प्राविधान है। स्थानीय स्तर पर खनन कार्य होने से स्थानीय रोजगार उपलब्ध होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा बताया गया कि खनन कार्य न होने के कारण नदी का वास्तविक स्वरूप बदल जायेगा और नदी जंगल एवं कृषि भूमि का कटाव करेगी इसलिये नदी का चुगान वैज्ञानिक तरीके से करना अति आवश्यक है। परियोजना के अन्तर्गत स्थानीय लोगों की सहभागिता का भी पूरा ध्यान रखा जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि खनन वैज्ञानिक तरीके से किया जाये जिससे पर्यावरणीय क्षति न हो। अन्त में सभा में उपस्थित व्यक्तियों द्वारा हाथ खड़े कर खनन कार्य हेतु सहमति व्यक्त की गयी।

तदोपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति के द्वारा समापन की घोषणा की गयी है। जन सुनवाई की कार्यवाही की फोटाग्राफी एवं वीडियोग्राफी की गयी है।

संलग्नक–

1. फोटो – 03
2. डी0वी0डी0 – 03
3. उपस्थिति पंजिका – 03

(सुनील डबराल)
अनु0 सहा0

(सुभाष पंवार)
अ0 अभियन्ता

30/8/17
(प्रताप सिंह शाह)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
देहरादून

1. बल्दी (बल्दी)

बल्दी के लाट संख्या 15/3 एवं 15/4 में चुगान/खनन हेतु दिनांक 30/08/2014 (प्रातः 10:00) बेसिक प्राइमरी पाठशाला खैरी मानसिंह, रायपुर ब्लाक, जनपद देहरादून में चुगान/खनन हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई में उपस्थित मा० जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति पंजिका।

क्रम	नाम व पद	पता	दूरभाष	हस्ताक्षर
(1)	श्री प्रतापसिंह शाह (Admn F/R)	जिला प्रशासन देहरादून	9756665555	[signature]
(2)	श्री सुभाष पंवार (अ० अभि०)	प्रदू० नि० बोर्ड देहरादून	9410393545	[signature]
(3)	श्री सुनील सकलानी (सहा० पर्या०)	प्रदूषण नि० बोर्ड दे० दून	9633837020	[signature]
(4)	मिथलेश शर्मा P.R.O. GMVN	GMVN.	9897735856	[signature]
(5)	विवेक कुमार (Asst. manager)	GR-C India (P) Ltd Noida	8377078376	[signature]
(6)	अमरसिंह बिष्ट पूर्व प्रधान खैरीमानसिंह	ग्राम- रैनीवाला	9536789555	[signature]
(7)	मनमोहन नेगी ग्राम	प्रधान कलेडीगाड	9987865487	
(8)	Yashpal	Bagdadaran	9456173108	[signature]
9.	M.R. Nautiyal	Khai Man Singh	9536997833	[signature]
(10)	सुरेश चन्द क्षे०पं० सदस्य	पेवा मालदेवता	9760112685	Sd/-

	नाम व पद	पता	हस्ताक्षर	मोबाइल
(12)	मोहन सिंह	खैरी मान सिंह		9675801131
(13)	विजेन्द्र चौहान	,,		975803666
(14)	हुकम सिंह बिष्ट	रैनीवाला	[illegible]	
(15)	वीर सिंह चौहान	खैरी	वीर सिंह	
(16)	गोविन्द चौहान	खैरी	Govind	
17	हुकम सिंह राणा	खैरी	हुकम सिंह	
18	शालेराम भगत	खैरी	[illegible]	
19	रतन सिंह नेगी	खैरी मान सिंह	[illegible]	9627370781
20	मदन सिंह [illegible]	,,		
21	मनोज पयाल	पोस्ताबी	मनोज पयाल	
22	वीर सिंह	खैरी मान सिंह	वीर सिंह	
23	धाम सिंह	पोस्तावाडी	धाम सिंह	
24	मदन सिंह नेगी	खैरी मानसिंह	मदन सिंह	
25	बलवीर सिंह नेगी	खैरी मानसिंह	बलवीर सिंह	
26	[illegible]	खैरी मानसिंह	[illegible]	
27	Gopal	[illegible]	Gopal	
28	गब्बर सिंह चौहान	खैरी मानसिंह	[illegible]	
29	गोपाल दत्त	खैरी मान सिंह	गोपाल दत्त	
30	नारायण दत्त	पोस्ताबी	नारायण दत्त	
31	दिग्विजय सिंह	[illegible]	[illegible]	2810320
32	प्रेम सिंह	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33	[illegible]	खैरी मानसिंह	[illegible]	
34	[illegible]			
35	[illegible]	खैरी मानसिंह	R. [illegible]	[illegible]
36	सुन्दरलाल ममगाई	खैरी मानसिंह	[illegible]	
37	SACHIN MIYA	Khesimansingh	[illegible]	9410153020
	लक्ष्मी देवी			लक्ष्मी देवी
39	जितेन्द्र चौहान	खैरी	जितेन्द्र	9720344870
	रमा सकलानी	Khesi [illegible]	रमा	
	शकुन्तला		शकुन्तला	

	नाम व पद	पता	मोबाइल नं.	हस्ताक्षर
(40)	विक्रम सिंह	रैनीवाला खेरी मानसिंह	7500416428	[illegible]
(41)	Pushpa Jawale	पीरसाई खेरी मान सिंह		Pushpa Jaur
(42)	आचार्य चौहान	पैरी मान सिंह	9997305012	[illegible]
43	डी. एम. नेगी	G.M. VNtel	9412017902	[illegible]